ISSN No. : 2394-0344 Remarking : Vol-2* Issue-4*September 2015

जनजातीय महिलाओं की समस्याएं, समाधान एवं विकास

सुनीता मिश्रा
सहायक प्राध्यापिका,
राजनीति विज्ञान विभाग,
कन्या महाविद्यालय,
खुर्सीपार, भिलाई, दुग, छत्तीसगढ़

अरूणा ठाकुर
सहायक प्राध्यापिका,
लोक प्र"ाासन विभाग,
शासकीय जे. यो. छत्तीसगढ़
महाविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

जनजातियों को हिन्दू समाज में परम्परागत रूप से निम्न समझा गया है, इनका शोषण किया गया है, और इन्हें सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। वस्तुतः यही निर्योग्यताए है और यही उनकी समस्याएं तथा पिछड़ेपन के कारण है। भारत सरकार के भूतपूर्व **विधिमंत्री श्री अम्बेडकर का कथन है कि–''हिन्दुओं का अछूतापन एक अनहोनी घटना है। संसार के किसी दूसरे हिस्से में मानवता ने इसका अनुभव नही किया है, किसी दूसरे समाज में इस जैसी कोई चोज है ही नहीं– न तो प्रारम्भिक समाज में और न ही वर्तमान समाज में।''**

महिलाएं दे"ा की आबादी का आधा हिस्सा होती है। संतुलित समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब इन्हें दे"ा की मुख्यधारा से जोड़ेगें। स्वाधीन भारत में जनजातियों की समस्त निर्योग्यताओं को वैधानिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है और उन्हें अन्य नागरिकों की भांति समस्त अधिकार प्रदान किए गए है। इनके शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान की दृष्टि से और समाज में सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए संविधान में अनेक संरक्षण प्रदान किए गए है। अतः अब ऐसा लगने लगा है कि इनकी स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। इस सत्य को नकारा नही जा सकता है कि वैधानिक तौर पर जनजातियों की सब निर्योग्यताएं दूर हो गई हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर स्थिति पर्याप्त भिन्न है। संभवतया इसीलिए **पणिक्कर का कथन है– ''यह मान लेना सर्वथा गलत होगाा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताएं भी दूर हो गई है।''**

मुख्य शब्द : जनजातीय महिला, सकेन्द्रण, ट्राइब, जनजातीय महिलाओं की परिस्थिति, निर्धनता, कन्या–मूल्य, अस्पृ"यता, लिंगानुपात, यवा–गृह, निर्योग्यताएं, पिछड़ापन।

प्रस्तावना

जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भरा पूरा राज्य है। प्रदे"ा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या 78,22,902 है, जो प्रदे"ा की कुल जनसंख्या का 30.62 प्रति"ात है। दुर्गम एवं दूरस्थ स्थान में निवास करने वाले ऐसे समूह को जनजाति कहा जाता है जिनका वि"िाष्ट नाम, भाषा, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार होता है। ऐसी जनजाति जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है अनुसूचित जनजाति कहलाते है। अनच्छेद 342 के तहत् राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी जनजाति समूह को अनुसूचित घोषित कर सकता है। प्रदे"ा का 81,861 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। प्रदे"ा में जनजाति समूह की घोषित संख्या 42 है, और यह कई उपजातियों में विभाजित है।[1]

जनजातियों का सकेन्द्रण

राज्य में जनजातियों का सकेन्द्रण को तीन भागों में बांटा जा सकता है–

उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र

कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, ज"ापुरनगर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली तथा जांजगीर चांपा जिलों को शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां– गोंड़, कंवर, कोरवा, बिरहोर, उरांव, खैरवार, बिंझवार, कोडार तथा भैना आदि है।

मध्यवर्ती भाग

रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा जिले है। यह कमार, हल्बा, भतरा, सोता, सोनता तथा बिंझवार जाति का निवास क्षेत्र है।

दक्षिणी क्षेत्र

बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर जिला शामिल है। यह गोंड़, माड़िया, मुड़िया, हल्बा, अबुझमाड़िया, परजा, कदबा तथा भतरा जाति का निवास स्थान है।

जनजातियों में से पांच जनजातियों को भारत सरकार के द्वारा वि"ोष पिछड़ी जनजातियों के रूप में मान्य किया गया है। यह जनजातियां है– बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबूझमाड़िया, कमार और बिरहोर यह वि"ोष पिछड़ी जनजातियां राज्य के रायगढ़, ज"ापुर, सरगुजा, रायपुर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, कवर्धा और नारायणपुर जिलों में मुख्य रूप से निवास करती है।[2]

जनजाति शब्द अंग्रेजी के 'ट्राइब' शब्द का हिन्दी अनुवाद है, 'ट्राइब' शब्द लैटिन भाषा से बना है। पहले रोम में इस शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न भागों के लिए किया जाता था, परन्तु बाद में समाज के निर्धन वर्ग के लिए होने लगा। अन्य लोगों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण इनका शोषण होता रहा है।

डॉ.मजूमदार लिखते हैं– ''एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है। जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक नि"चित भू–भाग में रहते है, समान भाषा बोलते है और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में नि"चत निषेधात्मक नियमों का पालन करते है और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते है।''[3]

जनजातीय समाज में महिलाओं की परिस्थति

जनजातिय समाज में महिलाओं की परिस्थिति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान यह मानते है कि जनजातिय समाज में स्त्रियों की स्थिति सभ्य समाजों की तुलना में उच्च है, कुछ विद्वान की मान्यता है कि जनजातिय समजों में स्त्रियों की स्थिति काफी निम्न है और पिछड़ी हुई है।

स्त्रियों को प्रथाओं के आधार पर जो अधिकार प्राप्त है, उनसे उनके प्रति किये जाने वाले वास्तविक व्यवहार में काफी भिन्नता है। उदा. टोडा जनजाति में उनकी दुग्ध शालाएं पवित्र कियाओं मानी जाती है। इन लोगों में स्त्रियों को दग्ध शालाओं में प्रवे"ा की आज्ञा नहीं है। वे न तो भैसों से दूध निकाल सकती है और न ही दूध से बनी किसी वस्तु का उत्पादन कर सकती है।

स्पष्ट है कि टोडा लोगों की प्रथाओं के अनुसार स्त्रियां, धार्मिक दृष्टि से बहिष्कृत है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में स्त्रियों को पुरूषों के समान सम्मान प्राप्त है, और पुरूष उनकी आव"यकताओं की पूर्ति करते है।

जनजातिय समाज में स्त्रियों की स्थिति का संबंध मातृसत्तामक या पितृसत्तामक समाज व्यवस्था या किसी वि"ोष परम्परा से नही है। उन समाजों में स्त्रियों की स्थिति के वास्तविक मूल्याकंन का आधार यह है कि उन्हें विवाह सम्बन्धी निर्णय लेने में कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्हें सामाजिक सहभागिता संबंधी कितने अवसर प्राप्त है, आर्थिक क्रियाओं में उनके द्वारा क्या योगदान दिया जाता है और उस योगदान को कितना महत्वपूर्ण समझा जाता है। उपर्युक्त निर्धारकों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते है कि सभ्य समाजों की तुलना में जनजातिय समाजों में स्त्रियों की परिस्थिति ऊंची है, यद्यपि उनमें पिछड़ापन अव"य है।[4]

जनजातीय समाज में समस्याएं

निरक्षरता और अज्ञानता

प्राचीन काल से ही भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था प्रचलित रही है। ि"ाक्षा का अधिकार केवल द्विज (सवर्ण) जातियों को ही दिया गया और शेष लोगों को इससे वंचित रखा गया। यही कारण है कि समाज का शेष भाग आ"िाक्षित रहा।

निर्धनता

जहां लोगों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो और जनता लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन व्यतीत करती हो, उनसे ि"ाक्षा प्राप्त करके की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, क्योंकि ि"ाक्षा ग्रहण करने में जितना समय व पैसा खर्च होता है, उतने समय व पैसे में तो वे अपनी आजीविका चलाने की बात सोचते है।[5]

मद्यपान की आदत

परम्परागत रूप से मध्यप्रदे"ा और छत्तीसगढ़ की जनजातियों का एक बड़ा हिस्सा महुए और दूसरे पदार्थो से दे"ाी शराब बनाकर अपनी आव"यकताओं पूरी करत है। शराब पीना इनकी आदत बन चुकी है।

बाल–विवाह की समस्या

जनजातिय लोगों में विवाह साधारण युवा अवस्था में होते थे, अब उनमें बाल विवाह होन लगे है जो उच्च समझे जाने वाले हिन्दुओं के सम्पर्क का परिणाम है।

कन्या मूल्य की समस्या

कुछ समय तक कन्या मूल्य वस्तुओं के रूप में चुकाया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह मूल्य नगद के रूप में बढती जा रही है। परिणाम स्वरूप जो लोग कन्या मूल्य को नगद के रूप में नहीं चुका पाते, उनके लिए विवाह करना कठिन समस्या है।[6]

शारीरिक शोषण

जनजातिय लोगों की निर्धनता का लाभ उठाकर ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी एवं कुछ अन्य जातियों के लोग स्त्रियों के साथ अनुचित यौन संबंध स्थापित कर लेते है। जिससे वे"यावृत्ति पूर्ण वैवाहिक तथा अतिरिक्त वैवाहिक यौन संबंध की समस्या इनमें पनपी है तथा यौन रोग पनपे है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्या

इन्हें पौष्टिक व संतुलित भोजन प्राप्त नहीं होता है। सारा दिन परिश्रम करने के प"चात विटामिन युक्त भोजन के अभाव में इन लोगों का स्वास्थ्य दिना–दिन गिरता जा रहा है। बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सालयों व आव"यक दवाओं का अभाव है।

लिंगानुपात की समस्या

जनजाति समाज में महिला लिंगानुपात अधिक है। इससे बहुपत्नी या बहुपति विवाह को बढ़ावा मिलता है।[7]

जनजातीय समाज में समस्याओं का समाधान

1. सामाजिक समस्याओं के हल के लिए बाल–विवाह एवं कन्या मूल्य पर कानूनी रोक के साथ–साथ इनके विरूद्ध जनमत तैयार किया जाये। युवा गृहों का पुरूत्थान किया जाय और उनमें ि"ाक्षा देने का प्रबंध किया जाए। आर्थिक स्थिति सुधारी जाए जिससे वे"यावृत्ति समाप्त हो सके।

2. स्वास्थ्य संबंधी समस्या को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्साल, डाक्टर एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंध किया जाए। उन्हे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए अलग–अलग स्थान पर समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाये जाए। स्कूलों, पंचायतों, घरों एवं युवा गृहों मं दवाओं आदि की व्यवस्था की जाए।
3. शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। प्राथमिक एव उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाए खोली जाएं। शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो। स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। ताकि शिक्षा प्राप्ति पश्चात बेकारी का सामना नहीं करना पड़े।[8]

सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु कल्याणकारी योजनाएं शालेय शिक्षा

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों विकास विभाग द्वारा प्राथमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सचालित की जा रही है। 16941 प्राथमिक, 6202 माध्यमिक और 485 हाईस्कूल तथा कन्या शिक्षा परिसर, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय, गुरूकुल विद्यालय तथा खेल परिसर है।

अनुसूचित जातियों को 32 प्रतिशत आरक्षण

शासकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में 32 प्रतिशत आरक्षण देने का राज्य शासन ने निर्णय लिया है।[9]

पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं छात्रवृत्ति योजना

11 वीं कक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से यह छात्रवृत्ति दी जाती है।

सरस्वती सायकल योजना

छात्राओं को आठवीं कक्षा के बाद आगे हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 9 वी कक्षा में प्रवेश लेने वाली अनु.जाति एवं जनजाति वर्ग की बालिकों एवं सभी वर्गों की बीपीएल परिवारों की छात्राओं को सायकल उपलब्ध करायी जाती है।[10]

निशुल्क पुस्तकें

राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 से 9 वी एवं 10 वी के छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क पुस्तकें दी जा रही है।

नर्सिग प्रशिक्षण

प्रदेश में बीएससी नर्सिंग चार वर्षीय व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2009–10 में प्रारंभ की गई है। इसमें विद्यार्थियों में निजी नर्सिक कालेजों में प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस, छात्रावास एवं भोजन आदि पर व्यय हेतु सहायता दी जाती है।[11]

मुख्यमंत्री कन्या दान योजना

इस योजना के तहत गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए राज्य शासन द्वारा 15000/– रूपये की सहायता राशि दी जाती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

इसका उद्देश्य कन्याओं को 5 वी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन देना है। तथा इन्हें 500 रूपये प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

एयर हास्टेज प्रशिक्षण योजना

एयर हास्टेज के रूप में कैरियर बनाने की आकांक्षा रखने वाली युवतियों को इस सेवा विशिष्ट योग्यता, क्षमता, दृष्टि कोण के अनुरूप व्यक्तित्व तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।

मोबाइल मेडिकल यूनिट

प्रदेश के सभी विकासखण्ड़ों तथा पहुँच विहीन क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए घुमन्तु अस्पताल शुरू करने की योजना के तहत बस्तर और कोण्डागांव जिले के 12 विकासखण्डों में पांच मोबाईल यूनिट शुरू।[12]

महिलाएं जो किसी भी देश की आबादी का आधा हिस्सा होती है, उन्हें देश की मुख्यधारा से पृथक कर स्वस्थ एवं संतुलित समाज का निर्माण नही किया जा सकता। 11 दशक पूर्व ही **स्वामी विवेकानंद ने विश्व मंच पर कहा था– "स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना कल्याण असंभव है, जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना।"** संविधान में समाज की विशिष्ट स्थिति के मद्देनजर यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य अपने वंचित और पिछड़े तबकों के प्रति सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से संचालित होगा। केन्द्र व राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं इन वर्गों के लिए निर्मित और क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं से इनकी स्थिति में पहले से बहुत बदलाव आया है, जो कि सराहनीय है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. छत्तीसगढ़ संदर्भ, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन पृ.सं.–41–42
2. प्रतियोगिता सारांश, छत्तीसगढ़ समग्र संदर्भ, पृ.सं. 356–357
3. गुप्ता एवं शर्मा, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, पृ.सं. 1–2
4. पूर्वोक्त, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, पृ.सं. 28–29
5. अग्रवाल जी.के., एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस आगरा, पृ.सं. 148–150
6. पूर्वोक्त, एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस आगरा, पृ.सं. 151–152
7. गुप्ता एवं शर्मा, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, पृ.सं. 168–169
8. आदिवासियों से सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार, जनसम्पर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, पृ.सं.–2
9. प्रयास, जनसम्पक विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, पृ.सं.–44
10. राहें विकास की, जनसम्पर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, पृ.सं.–44
11. साकार होते सपने , जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर, पृ.सं.–53
12. पूर्वोक्त, जनसम्पक संचालनालय, रायपुर, पृ.सं.–59